भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3897
दिनांक 17 मार्च, 2020 के लिए प्रश्न

भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली

3897. श्रीमती नवनित रवि राणाः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार देश में मछुआरों के कल्याण हेतु 'नाविक' नामक भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) उक्त प्रणाली के आरंभ से अब तक इससे राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मछुआरे लाभान्वित हुए हैं;
(घ) क्या 'नाविक' को 2020 के पूर्वाद्ध में नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध् किए जाने की योजना है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा गत वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी निधि आवंटित की गई है; और
(च) ऊंची लहरों और आ रहे तुफानों से मछुआरों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) और (ख): जी हां, श्री मान, अंतरिक्ष विभाग ने बताया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने नाविक संदेश प्रणाली की रचना की है और नाविक सन्देश प्राप्तकर्ता का विकास किया है तथा भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना प्रणाली केन्द्र (इनकॉइस) इस मेसेजिंग प्रणाली का उपयोग चक्रवात, सुनामी और ऊंची लहरों के उठने जैसे आपातकालीन चे तावनी संदेशों तथा संभाव्य मत्स्यहरण क्षेत्रों की सूचना देने के लिए कर रहा है।

(ग)और (घ)- अंतरिक्ष विभाग ने बताया है कि इसरो ने सन्देश प्राप्तकर्ता निर्माण के लिए इस तकनीक को 5 उद्योगों को स्थानांतरित किया है। विभिन्न तटीय राज्यों के मत्स्यपालन विभागों को मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए इस तकनीक से अवगत कराया गया है। इसरो ने केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के संबंधित राज्य मत्स्यपालन विभागों के माध्यम से 250 इकाइयां मछुआरों को वितरित की हैं। इसरो ने आगे बढ़कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मछुआरों के लिए इसका परिक्षण भी किया है। मत्स्यपालन विभाग, तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि 200 नग नाविक इकाइयां 80 समूहों को उपलब्ध करवाई गई हैं जिनमें तमिलनाडु के 10 से 15 गहन सागर मत्स्यहरण नावें शामिल हैं। नाविक के वितरण का कार्यन्वयन संबंधित राज्य सरकारों के मत्स्यपालन विभाग द्वारा किया जाता है।

(ङ) नीली क्रांति योजना के अंतर्गत मत्स्यपालन गतिविधियों के लिए नीधि का आ वंटन संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है क्योंकि ये मांग आधारित गतिविधियां होती है तथा इस प्रकार इस उद्देश्य के लिए पहले से कोई राशि का आवंटन नहीं किया जाता है।

(च) मछुआरों को सूचना के प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रमों एवं बैठकों का आयोजन मत्स्यपालन विभाग द्वारा किया जाता है और मछुआरों एवं मत्स्यन जलयानों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए ऊंची लहरों, चक्रवातों, सुनामी आदि के चेतावनी संदेश चक्रवात चेतावनी केंद्र से प्राप्त सूचना के बाद सभी प्रकार के मीडिया द्वारा संचारित किए जाते हैं।

******